

वोटर्स बिल ऑफ राइट्स

आपके निम्नलिखित अधिकार हैं:

- 1** यदि आप रजिस्टर्ड वोटर हैं तो वोट डालने का अधिकार। आपको वोट डालने का अधिकार है यदि:
 - आप California में रहने वाले U.S. नागरिक हैं
 - आपकी उम्र कम से कम 18 साल है
 - अपने मौजूदा निवास क्षेत्र में आप रजिस्टर्ड हैं
 - किसी अपराध के लिए आप को जेल की सजा न हुई हो अथवा आप पैरोल पर रहे हों
- 2** यदि आप रजिस्टर्ड वोटर हैं तो फिर चाहे आपका नाम सूची में न हो तब भी आपको वोट डालने का अधिकार। आप प्रोविजनल बैलट (मतपत्र) की मदद से वोट डाल सकते हैं। मतदान अधिकारियों को यह सुनिश्चित हो जाने पर कि आप वोट डालने के अधिकारी हैं, आपका वोट गिना जाएगा।
- 3** मतदान बंद हो जाने के बाद भी यदि आप लाइन में हैं तो आपको वोट डालने का अधिकार।
- 4** गुप्त मत डालने का अधिकार बिना किसी के हस्तक्षेप के या वोट कैसे डालें यह बात बिना किसी के बताए।
- 5** यदि आपने मत नहीं डाला हो तो, गलती हो जाने पर नया मतपत्र पाने का अधिकार। आप:
 - मतदान स्थल पर मतदान अधिकारियों से नये मतपत्र की मांग कर सकते हैं; या
 - मेल के जरिए वोट करने का विकल्प चुन सकते हैं इलेक्शन ऑफिस, या अपने मतदान स्थल पर नए मतपत्र प्राप्त कर सकते हैं; या
 - यदि आपके पास ओरिजिनल वोट-बाय-मेल बैलट नहीं है, तो प्रोविजनल बैलट की मदद से वोट डाल सकते हैं।
- 6** वोट डालने में अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से मदद लेने का अधिकार सिवाय उनके जो आपके कर्मचारी हों या यूनियन के प्रतिनिधि हों।
- 7** अपना पूरी तरह भरा हुआ वोट-बाय-मेल बैलट उस काउंटी के किसी भी मतदान स्थल पर फोन सकते हैं जहां आप वोट डालने के लिए रजिस्टर्ड हैं।
- 8** इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषा में चुनाव सामग्री पाने का अधिकार बशर्ते आपके मतदान क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में लोग वह भाषा बोलते हों।
- 9** चुनाव प्रक्रिया के बारे में चुनाव अधिकारियों से सवाल पूछने का अधिकार और चुनाव प्रक्रिया के अवलोकन का अधिकार। यदि आपने जिस व्यक्ति से सवाल किया वह आपको जवाब न दे सके तो वह आपको आपके सवाल के जवाब के लिए उपयुक्त व्यक्ति के पास भेजेगा। यदि आपकी गतिविधि बाधाकारी है तो उनको अधिकार है कि आपको आपके सवाल का जवाब न दें।
- 10** किसी भी अवैध या जालसाजी भरी चुनाव गतिविधि के बारे में किसी चुनाव अधिकारी या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सूचना देने का अधिकार।
 - इस वेबसाइट पर www.sos.ca.gov
 - फोन के जरिए (888) 345-2692
 - यहां मेल के जरिए elections@sos.ca.gov

यदि आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई अधिकार नहीं मिला है तो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के निम्नलिखित निजी टोल फ्री वोटर हॉटलाइन (888) 345-2692 संपर्क करें।